फर्द अहकाम
(नियम–26)
अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री मोहनलाल पिता भगवान लाल निवासी मेन रोड़, चेतक मार्केट, रावतभाटा,

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 42/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.05.2018	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री मोहनलाल पिता भगवानलाल निवासी मेन रोड़, चेतक मार्केट, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 06.02.2018 को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलार्थी को निर्धारित समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना, राजस्व विभाग से संबंधित न ही होकर शिक्षा विभाग से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) ने आवेदन में चाही गई सूचना शिक्षा विभाग से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 की सहधारा 3 के तहत जरिये पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/1772 दिनांक 20.02.2018 से उक्त आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित करते हुए पत्र की प्रति अपीलार्थी को भी उपलब्ध कराई गई। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना शिक्षा विभाग से संबंधित होने से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), चित्तौड़गढ़ का बनता है। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), चित्तौड़गढ़ द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उनके लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान है। यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी शिक्षा उप निदेशक, (प्रारम्भिक) उदयपुर के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।	